

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 16/2019

प्रार्थी

27

बनाम

अप्रार्थी

तहसीलदार भू.अ. सायला  
जिला जालोर

श्री सारिया वल्द भेरा वगैरह  
जातियान सरगरा निवासी थलवाड

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित- 1. सरकारी पैरोकार ( तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 20/05/2019

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसराओं के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत यह है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1521/1701 रकबा 0.40 हे. में सारिया वल्द भेरा मंगला वल्द भबूता कौम सरगरा मांगीया वल्द टीया कौम लुहार सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1521/1701 रकबा 0.40 हे. में खसाराम जगाराम भलाराम पि. सराराम हुलीदेवी पत्नी सराराम 7 बीघा मंगला वल्द भबूता 10 बीघा कौम सरगरा मांगीया वल्द टीया 10 बीघा कौम लुहार सा.देह खातेदार दर्ज है । परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1521/1801 दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1521/1801 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावें ताकि मिसल बन्दोबस्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 1521/1801 की बजाय 1521/1701 शुद्ध संशोधन किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ व अप्रार्थी द्वारा ग्राम थलवाड के खसरा नम्बर 1521/1801 की बजाय 1521/1701 राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी  
सायला (राज.)

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी का सहमती पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1521/1701 रकबा 0.40 हे., में सारिया वल्द भेरा मंगला वल्द भबूता कौम सरगरा मांगीया वल्द टीया कौम लुहार सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1521/1701 रकबा 0.40 हे. में खसारा जगाराम भलाराम पि. सराराम हुलीदेवी पत्नी सराराम 7 बीघा मंगला वल्द भबूता 10 बीघा कौम सरगरा मांगीया वल्द टीया 10 बीघा कौम लुहार सा.देह खातेदार दर्ज है । परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1521/1801 दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1521/1801 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1521/1801 की बजाय 1521/1701 को नक्शे ट्रेस में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत हैं तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंखा अनुसार सरहद मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1521/1801 की बजाय 1521/1701 को नक्शे में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1521/1801 की बजाय 1521/1701 को सलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शे में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रेकॉर्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक ..... 20/05/2019 ..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोमती शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपरखण्ड अधिकारी  
सायला (राज.)